भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 4284
(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर के लिए)

संघ लोक सेवा आयोग-सिविल सेवा परीक्षा में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा में वृद्धि

4284. श्री आर.के. चौधरीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ लोक सेवा आयोग-सिविल सेवा परीक्षा में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा का निर्धारण करने संबंधी निर्णय किस आधार पर लिया गया है;
(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है;
(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग-सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या और आयु सीमा में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग-सिविल सेवा परीक्षा में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के संबंध में न्यायपालिका अथवा सरकार के स्तर पर कोई चर्चा चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित करने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की क्या भूमिका है; और
(च) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति नीतियों के निर्धारण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की क्या भूमिका है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचित किए गए सीएसई नियमों के अनुसरण में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) का आयोजन, वार्षिक रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इस विभाग द्वारा यूपीएससी, भागीदारी सेवाओं के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सीएसई नियमों को अंतिम रूप दिया जाता है। प्रयासों की संख्या और आयु मानदंड सीएसई नियमों के पहलू होने के कारण, इनके संबंध में निर्णय तद्नुसार लिया जाता है।

(च): भारत सरकार (कार्य नियतन) नियमावली, 1961 के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग रेलवे सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग की नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाओं को छोड़कर, केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित सामान्य मामलों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों (उन कर्मचारियों को छोड़कर, जिनका कोई वित्तीय आधार हो और जब वे सामान्य सेवा के हितों के मुद्दे उठाए) से संबंधित कार्य देखता है।

******